

अश्व शक्ति
दिनांक- 04.12.2023

दिनांक- 01 12 2023

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि
विद्युत वितरण खण्ड
बाँद (आगरा)

$$\frac{56}{23-24}$$

रजिस्टर्ड

प. संख्या 6837 / निविदा क्र. /

राशर्त / समान्य / पूर्ण जगत् योजना

दिनांक 19/12/2023

श्री सत्यवीर पुत्र श्री राग बाबू
ग्राम- निजकमौली पोस्ट-बाह ब्लॉक बाह तहसील-बाह जिला-आगरा।
महोदय

आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त स्वीकृत विद्युत शक्ति से सम्बन्धित व्यय का लेखा जोखा इस कार्यालय में प्राप्त हो गया है। आपको रायोजन पूर्ण जगा योजना योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों की स्वीकृति व पालन करने की अवस्था में दिया जायेगा।

1 आप अनुसन्ध करने की तिथि को निम्नलिखित धनराशि इस कार्यालय में जमा कर दें।

(1) जमानत की धनराशि	रु0 4500.00
(2) सर्विस कन्वेंशन की धनराशि	रु0 —
(3) फिक्स्ड चार्ज की धनराशि	रु0 4957 00
(4) सिस्टम लोडिंग चार्ज	रु0 —
(5) अन्य चार्ज (यदि हों)	रु0 —
(6) अन्य धनराशि	रु0 106382.00

कुल योग रु0 1,15,839.00

(रूपया शब्दों में एक लाख पन्द्रह हजार आठ सौ उन्तालीस मात्र)

- 1 आपको कनेक्शन के लिए निगम द्वारा निर्धारित 50 मी० एच०टी० लाइन एवं 25केवीए उपसंस्थान के कारण ₹० 106382.00 का धनजमा किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं किया जायेगा।
- 2 मीटर निरीक्षण शुल्क को शासकीय कोष "0043-102" बिजली प्र. कर एवं शुल्क भारतीय वि. नि. यमावली के अन्तर्गत ₹० 1175.00/ जमा करना होगा। बालान प्रति प्रस्तुत करनी है।
- 3 आपको अपने कनेक्शन के लिए स्वयं सम्बन्धित 33केवी विद्युत उपसंस्थान से अपने वाहन द्वारा स. की दुलाई करनी होगी। सामान दुलाई के साथ निगम का चतुर श्रमिक (Skilled Labour) जायेगा शीघ्र ही कार्य शुरू कर देगा।

4. आपको अपने कनेक्शन के लिए स्वयं सम्बन्धित 33 क्वा. फुट उपकरणों से अपने की दुलाई करनी होगी। सामान दुलाई के साथ निगम का चतुर श्रमिक (Skilled Lab. शीप) ही कार्य शुरू कर देगा।
5. आपको अपना नाम लालस बनाने हेतु आवश्यक ईट, बालू तथा सीमेंट का प्रबंध करना पड़ेगा। उसी व. से उपकरण वस्तुओं की आवश्यक मात्रा अपनी लाइन व कनेक्शन हेतु भी देय होगी।
6. कनेक्शन हेतु लाइन व सब स्टेशन बनाने में जो मजदूरी की आवश्यकता पड़ेगी उसकी प्रबन्ध करना पड़ेगा।

नोट - 1. उपकरणों को लालस करने के साथ उपर्युक्त माफ़ी चतुर श्रमिक (मीटर) विल सहित लगाना अनिवार्य होगा।
 2. लालस करने के लिए उपर्युक्त माफ़ी चतुर श्रमिक (मीटर) विल सहित लगाना अनिवार्य होगा।
 3. उपकरणों को लालस करने पर निगम द्वारा दिये निर्देशों का प्रबन्ध करना होगा।

नोट -

1. सीमेंट बालू तथा मिट्टी की आवश्यकता केवल आखिरी खम्भे तथा एंगिल पोल तथा स्ट के लिए होगी जिसकी मात्रा निम्नलिखित दर से होगी। प्रति खम्भा-सीमेंट 06 बोरी, बालू 03 घन फीट, मिट्टी (ड्रिक क्लारस्ट) 06 घन फीट, प्रति स्ट-सीमेंट 03 बोरी, 15 घन फीट, मिट्टी (ड्रिक क्लारस्ट) 03 घन फीट।
 (अ) एच टी / एल टी लाइन हेतु - 80 मेनडेल प्रति किलो मीटर
 (ब) सब-स्टेशन - 40 मेनडेल प्रति सब स्टेशन
2. आपको कार्य करने लिए मजदूरों की जरूरत होगी यदि आपको ऊपर लिखी शर्त मान्य हों तो आप कृपया किसी कार्य दिवस में 10 बजे प्रातः से दोपहर 01 बजे तक दो गवाहों सहित इस कार्यलय में पधार कर एग्जिमेंट हस्ताक्षर करें।
 (अ) नान जुडिशियल 100 रु० का जनरल स्टाम्प तथा एक रुपये का रसीदी टिकट (Revenue Stamp) साथ लायें।
 (ब) आपके कनेक्शन को विजली तभी दी जायेगी जब आपका वायरिंग पूरा होगा। ऊपर लिखी सब शर्तें जमा करने के पश्चात् जमानत व सर्विस लाइन चार्ज की रसीद और बी एण्ड एल फार्म और मीटर डिक्लेरेशन फार्म (मीटर गुआइना के ट्रेजरी चातान सहित) अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के पास जमा कर दें तथा उसकी रसीद प्राप्त कर लें।

यदि आप उपरोक्त शर्तें 30 दिन तक पूरा नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको कनेक्शन की जरूरत नहीं है। प्रगार स्वीकृति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता

पं संख्या

/ वि वि ख बाह /

दिनांक

प्रतिलिपि -

1. उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड
2. हैंड कंशियर वि वि ख बाह को इस आशय के साथ कि भुगतान की सूचना संगणक को देने का कष्ट करें।

अधिशासी अभियन्ता